

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(10)नविवि/II/09

जयपुर दिनांक: 07 OCT 2010

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा नगर नियोजन विभाग के अधीन सहायक नगर नियोजक के रिक्त पदों पर आवश्यक/अस्थाई (Urgent/Temporary Basis) आधार पर राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के प्रावधानान्तर्गत अधिकतम 6 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए फिक्स, वेतन रूपये 16700/- (सोलह हजार सात सौ रूपये मात्र) पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त आदेशों के क्रम में निम्नानुसार सहायक नगर नियोजक को तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय/स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन स्थान
1.	श्री अर्पित संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (मुख्यालय)
2.	श्री अरविन्द सिंह कानावत,	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (मुख्यालय)
3.	कुमारी ऋतु शर्मा,	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, राजसमंद
4.	कुमारी इशिता सैनी	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, सीकर
5.	कुमारी शिखा विजय	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, टोंक
6.	श्री संजीव पारीक	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, झालावाड़
7.	श्री नयूर गोयल	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, बूँदी
8.	कुमारी मीनल जैन	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, बीकानेर
9.	कुमारी आरती	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, जोधपुर
10.	श्री किशन लाल खाण्डा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, भरतपुर
11.	कुमारी प्रिया माथुर	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (मुख्यालय)
12.	श्री पुनीत कपूर	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट नागौर
13.	श्री पवन पाल डागा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट भीलवाड़ा
14.	श्री प्रसून चतुर्वेदी	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, चित्तौड़गढ़
15.	श्रीमती रूची गुप्ता	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, कोटा
16.	श्री विजेन्द्र सिंह	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, श्रीगंगानगर
17.	श्री विजय शर्मा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, हनुमानगढ़
18.	श्री राधेश्याम बुनकर	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, चुरू
19.	श्री नितिन मीणा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, पाली
20.	श्री अंकुर देवत	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, सिरोही
21.	श्री राकेश मातवा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, झुंझुनूं
22.	श्रीमती नीति खन्ना	मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर (मुख्यालय)
23.	श्री राजीव रतन मीणा	डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यूनिट, जैसलमेर

नोट:- क्रम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित श्री अर्पित संचेती एवं श्री अरविन्द सिंह कानावत, सहायक नगर नियोजक मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग हेतु गठित प्रकोष्ठ में चीफ कोर्डिनेटर, मास्टर प्लानर श्री आर.के.शर्मा के निर्देशन में कार्य करेंगे।

पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त सहायक नगर नियोजकों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 एवं 11 के अनुसार अपने स्वास्थ्य का परीक्षण प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी से एवं महिलाओं के संबंध में किसी महिला चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो उनके रिश्तेदार नहीं हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं उपरोक्त समस्त मूल प्रमाण पत्र आदि मुख्य नगर नियोजक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण समय (उपरोक्त दर्शाए गये के अतिरिक्त) देय नहीं होगा।


आज्ञा से,



शारान उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को आदेशों की प्रति भेज कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 11.10.2010 को उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उपस्थिति देने के साथ ही इन्हें पदस्थापन आदेश तामील करवाये जाकर नियत स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
4. उप सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग/कार्मिक (क-2) विभाग /संबंधित जिला कलेक्टर ---
5. संबंधित अभ्यर्थीगण द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव-प्रथम